International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 5, September-October, 2026

प्लेटो के न्याय सिद्धांत एवं वर्तमान न्याय अवधारणा का एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सुशील दत

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय गुरावडा (रेवाडी)

DOI: https://doi.org/10.55948/IJERED.2026.0930

सारांश

न्याय राजनीतिक दर्शन की विचारधाराओं या अवधारणाओं में से सर्वाधिक चर्चित अवधारणा रही है। मानव समाज के विकास के साथ न्याय की अवधारणा का भी विकास हो रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने न्याय को आदर्श राज्य में एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'The Republic' में न्याय के स्वरूप का सारगर्भित वर्णन किया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार कार्य करना तथा किसी भी रूप में अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। प्लेटो का मत था कि न्याय केवल कानूनी विषय नहीं है अपितु न्याय तो राज्य की नैतिक व्यवस्था का आधारभूत स्तम्भ है। इसके विपरीत हम आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा को अधिक व्यापक रूप में देखते हैं। वर्तमान समय में न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, मानवाधिकार, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, समानता तथा स्वतंत्रता जैसे तत्वों को भी शामिल करते हैं। वर्तमान समय में न्याय की अवधारणा नागरिकों के अधिकारों व मानवीय समानता को भी अभिन्न अंग मानती है। इस शोध पत्र में प्लेटो के न्याय सिद्धांत एवं वर्तमान समय की न्याय अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य दोनों की समानताओं, असमानताओं तथा समकालीन प्रासंगिकता का अध्ययन व विश्लेषण करना है।

सार शब्द: न्याय, अवधारणा, मानवाधिकार, समानता, विधि के समान संरक्षण, स्वतंत्रता।

प्रस्तावना

पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन व विचारों के इतिहास में प्लेटो का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। उन्हें आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। प्लेटो का जन्म 427 ई० पूर्व एथेंस के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। प्लेटो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य तथा अरस्तू के गुरु थे। प्लेटो के समय यूनान की राजनीतिक दशा अत्यंत खराब थी। प्लेटो के समय यूनान भ्रष्टाचार, अस्थिरता, युद्ध व नैतिक पतन जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। विशेष रूप से सुकरात को दिए गए मृत्युदंड ने प्लेटो के जीवन की दशा व दिशा दोनों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था। इन परिस्थितियों के कारण ही प्लेटो के राज्य में सुशासन, स्थिरता, भ्रष्टाचार का अंत इत्यादि पर चिंतन करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी के फलस्वरूप प्लेटो ने 'The Republic' की रचना की।

प्लेटो का मत था कि राज्य केवल राजनीतिक संस्था नहीं है अपितु एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाना है। प्लेटो कहते थे कि राज्य का सर्वोच्च गुण न्याय है जिस राज्य में न्याय नहीं होगा उस राज्य का पतन हो जाएगा। प्लेटो के न्याय का अर्थ आधुनिक न्याय के समान न्यायालय द्वारा न्याय से नहीं था अपितु उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी प्रकृति एवं योग्यता के अनुरूप कार्य करना ही न्याय था। यदि व्यक्ति की योग्यता की उपेक्षा होती है तो वह अन्याय का रूप धारण कर लेता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता तब ऐसी अवस्था में न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो ने न्याय को राज्य के आधारभूत स्तम्भ की संज्ञा दी है। उनके विचार में न्याय सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक स्थिरता व नैतिक अनुशासन का आधार है।

इसके विपरीत आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा अत्यधिक व्यापक स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। आज न्याय केवल अपने कार्यों को योग्यता के अनुरूप का विषय नहीं रहा है अपितु अवसरों की समानता, अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा व मानवीय गरिमा व संरक्षण का द्योतक है। वर्तमान समय में न्याय को संविधान, विधि, भारतीय न्याय संहिता इत्यादि के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

प्लेटो का न्याय सिद्धांत

प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **The Republic** में विस्तारपूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है। प्लेटो का मत था कि न्याय के बिना राज्य निष्प्राण हो जाता है। जिस प्रकार न्याय राज्य की आत्मा है, न्याय के बिना कोई राजनीतिक व्यवस्था स्थिरता ग्रहण नहीं कर सकती है। प्लेटो का मत था कि राज्य व्यक्ति के विस्तृत रूप की भाँति है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विवेक, साहस और इच्छाएँ होती हैं उसी भाँति राज्य में तीन वर्ग होते हैं: शासक वर्ग अर्थात राजा, सैनिक वर्ग अर्थात रक्षक और उत्पादक वर्ग। विवेक का प्रतिनिधित्व शासक वर्ग करता है, साहस का प्रतिनिधित्व सैनिक वर्ग तथा इच्छाओं का प्रतिनिधित्व उत्पादक वर्ग करता है। जब ये तीनों वर्ग अपने कार्यों को समन्वयपूर्ण तरीके से करते हैं तो प्लेटो के अनुसार स्वतः ही राज्य में न्याय की स्थापना हो जाती है।

प्लेटो का मत था कि न्याय एक नैतिक सद्गुण के समान होता है। उनके अनुसार जिस प्रकार न्यायपूर्ण राज्य में सभी वर्गों के बीच समन्वय होता है उसी प्रकार न्यायपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसकी आत्मा का विवेकपूर्ण भाग उसकी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक नैतिक दर्शन का सिद्धांत है।

'वर्तमान न्याय की अवधारणा'

आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा एक बहुआयामी स्वरूप की अवधारणा है। प्लेटो के समय में न्याय की अवधारणा में सभी वर्गों द्वारा अपने कार्यों को अपनी योग्यता के अनुसार करना ही था परंतु वर्तमान समय में अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रताओं और अवसरों की समानताओं से भी है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्वीकार किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक तरीके से जीवन जीने का अधिकार है और यदि किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य द्वारा नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न्यायालय की शरण ले सकता है। राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। आधुनिक न्याय की अवधारणा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, लैंगिक न्याय तथा मानवाधिकारों को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में न्याय का अर्थ केवल कानूनों का पालन करना नहीं है अपितु यह सुनिश्चित करना भी है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसरों की प्राप्ति हो और बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त हों।

आधुनिक न्याय की अवधारणा में जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक **'A Theory of Justice'** में न्याय की अवधारणा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने न्याय को निष्पक्षता के रूप में बताया है। न्याय समाज का अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण है। उनका मत था कि समाज के नियम व संस्थाएँ सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करें तथा सभी को समान स्वतंत्रताएँ प्राप्त हों। वे समानता के साथ सकारात्मक असमानता को भी स्वीकृति प्रदान करते थे। उनका मत था कि समाज के वंचित व कमजोर लोगों को उचित लाभ प्राप्त होना चाहिए तथा सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। भारतीय न्याय संहिता इत्यादि के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस लिए लोकतांत्रिक राज्यों में संविधान, न्यायपालिका और कानून के शासन को महत्वपूर्ण साधन मानते हैं जिससे न्याय की स्थापना की जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में सम्पूर्ण विश्व के देशों को इन मानवाधिकारों को प्राप्त करने, अपने नागरिकों को प्रदान करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यह न्याय को दर्शाता है। आधुनिक न्याय व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त हैं जिसमें सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं उनके साथ जाति, रंग, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

प्लेटो के न्याय और वर्तमान न्याय में समानताएँ

प्लेटो का न्याय सिद्धांत काफी प्राचीन है और वर्तमान न्यायिक सिद्धांत ऐतिहासिक परिस्थितियों में विकसित हुए हैं, फिर भी अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो दोनों न्यायिक व्यवस्थाओं में काफी समानताएँ हैं। दोनों न्यायिक व्यवस्थाओं में न्याय को समाज की स्थिरता व विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माना गया है। प्लेटो का मत था कि राज्य के विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य होना ही न्याय को स्थापित करता है। वर्तमान समय में भी न्याय को समाज में शांति और राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक माना जाता है। न्याय के अभाव में समाज में अराजकता व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो राज्य के नागरिकों के हितों के प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।

प्लेटो और आधुनिक न्यायिक व्यवस्था दोनों ही सुशासन के महत्व को अंगीकृत करते हैं। प्लेटो का मत था कि आदर्श न्यायिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आदर्श राजा की आवश्यकता होती है जिसका चरित्र अत्यधिक महान हो और जो प्रजा की भलाई के लिए अपने

परिवार को त्याग सकता हो और न ही उसको संपत्ति का मोह हो अपितु पूर्ण रूप से एक संन्यासी की भाँति प्रजा का पालन करे। वर्तमान समय में भी जनता से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी नेताओं से यही आशा की जाती है कि वे नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे और राज्य में नैतिक शासन की स्थापना करेंगे।

प्लेटो के न्याय और वर्तमान न्याय में अंतर

प्लेटो के न्याय और वर्तमान न्याय अवधारणा के बीच कई मौलिक अंतर दिखाई देते हैं। प्लेटो के न्याय में कर्तव्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है जबकि वर्तमान न्याय में अधिकारों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। प्लेटो का मत था कि व्यक्ति का महत्व कर्तव्यों के निष्पादन से था जबकि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। आधुनिक समाज में व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण अंतर समानता की अवधारणा से संबंधित है। प्लेटो का मत था कि समाज में अनेक वर्ग होते हैं उनके द्वारा अपना कार्य किया जाना ही न्याय है। प्लेटो ने इसको प्राकृतिक न्याय की भी संज्ञा दी है। परंतु वर्तमान समय में न्याय व्यवस्था में समानता पर बल दिया जाता है। समान अवसर और समान अधिकारों पर बल दिया जाता है। आधुनिक व्यवस्था में कार्यों को करने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता अपितु मनुष्य अपनी इच्छा व विवेक के आधार पर कोई भी कार्य कर सकता है। आधुनिक न्याय व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्लेटो की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

तीसरा मुख्य अंतर यह था कि प्लेटो लोकतंत्र के कटु आलोचक थे और उनका मत था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें मूर्खों के मतों की अधिकता होती है जबकि प्लेटो ज्ञानवान दार्शनिक राजा का समर्थन करते थे और ज्ञानवान दार्शनिक राजा पर भी अत्यधिक नियंत्रण का समर्थन करते थे। इसके लिए उन्होंने संपत्ति व पत्नी को निषेध बताया था। जबकि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद धारण करने वाला व्यक्ति जनता के बहुमत का प्रतीक होता है अर्थात जनता द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। वर्तमान समय में जनता का शासक को चुनना न्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक तत्व माना जाता है।

भारतीय संविधान और न्याय

भारतीय संविधान में आधुनिक न्याय व्यवस्था को समाहित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है - सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए समान अवसरों को निहित किया गया है तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव की मनाही की गई है। भारतीय संविधान केवल कानूनी समानता को ही मान्यता नहीं देता अपितु सामाजिक व आर्थिक समानता को भी मान्यता देता है और सामाजिक व आर्थिक समानता को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर है।

भारतीय संविधान में भाग-3 व भाग-4 में मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व व स्वतंत्र न्यायपालिका को विशेष महत्व दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह राज्य सामाजिक न्याय व्यवस्था की अवधारणा को दर्शाता है।

संविधान में भारतीय नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124- 147, 214 - 231 में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर भी न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से सभी को न्याय प्रदान करने के आदर्शों को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में न्याय की अवधारणा को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं।

निष्कर्ष

प्लेटो के न्याय सिद्धांत में न्याय व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए कर्तव्य आधारित माना गया है। प्लेटो का मत था कि जब प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग अपने निर्धारित कार्यों का उचित रूप से पालन करते हैं तथा दूसरे वर्गों या व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते तब पूर्ण रूप से न्याय की स्थापना होती है। प्लेटो की न्यायिक व्यवस्था आदर्शमयी न्याय व्यवस्था थी। परन्तु जब हम भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो अधिक व्यापक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं।

अंत में कहा जा सकता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत और आधुनिक समय में न्याय सिद्धांत दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उस समय की परिस्थितियों का परिणाम है जबकि आधुनिक समय का न्याय सिद्धांत वर्तमान समय की परिस्थितियों का

परिणाम है, दोनों का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण है। इसके उपरान्त यह प्लेटो के न्याय सिद्धांत व भारतीय संविधान की तुलना की जाए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों जन कल्याण पर बल देते हैं किन्तु प्लेटो द्वारा दार्शनिक राजा को एक तानाशाह राजा की भाँति दर्शाया गया है जबकि भारतीय संविधान अधिक लोकतांत्रिक, समतावादी और अधिकारों से परिपूर्ण दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्लेटो - रिपब्लिक (Republic) हिन्दी अनुवाद।
2. प्लेटो - द लाॅस (The Laws) हिन्दी अनुवाद।
3. प्लेटो - स्टेटसमेन (The Statesman)हिन्दी अनुवाद।
4. प्लेटो - एपाॅलोजी (Apology) हिन्दी अनुवाद।
5. प्लेटो - क्रीटो (Crito) हिन्दी अनुवाद।
6. बासु, दुर्गा. दास - भारत का संविधान: एक परिचय, नई दिल्ली।
7. शर्मा, पी.डी. - राजनीतिक विचार, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2019।
8. सिंघल, एस. सी.- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन ;प्लेटो से कार्ल माक्र्सद्ध , लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
9. फड़िया, बी.एल. - पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, 2020
10. Gauba, O.P. – Western Political Thought, 4th Edition, National Paperbacks, New Delhi.
11. Subhash C. Kashyap – Our Constitution: An Introduction to India’s Constitution and Constitutional Law, NBT (National Book Trust), 1994.